न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 09/2014

ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल जाति वालमिकी (चुहड़ा) निवासी सरदारपुरा खर्था तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. चेतन पुत्र शेरा जाति चमार (मृतक)

1/1 बुधा पुत्र चेतन (मृतक)

1/1/1 मूला राम
1/1/2 पेमा राम
1/1/3 माना राम
1/1/4 चन्दू राम
1/1/5 शान्ति
1/1/6 रेशमा
1/1/7 काली
1/1/8 मघी
} पि. बुधा जाति मेघवाल, (चमार) निवासीगण सरदारपुराखर्था तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

1/2 हीरा
1/3 अर्जन
} पि चेतन, जाति मेघवाल (चमार) निवासी सरदारपुराखर्था तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

2. आदु पुत्र शेरा, जाति चमार (मृतक)

2/1 चुनी पुत्र आदू जाति मेघवाल (चमार) निवासी सरदारपुराखर्था तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

——रेस्पोडेन्ट्स

27/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सूरतगढ़
दिनांक 04.05.1983

उपस्थितिः–

श्री भागीरथ विश्नोई, अभिभाषक अपीलांट

श्री सचदेव बाली, अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 27.09.2017**

अपीलांट द्वारा यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 04.05.1983 के विरूद्ध पेश की है । उक्त आदेश के द्वारा चक 4 आरजेएम के प. नं. 122/42 के कि. नं. 4 ता 7, 12 ता 15, पं. नं. 122/41 के कि. नं. 16, 24, 25 का रकबा रेस्पों. सं. 1 व 2 के नाम घग्घर तबादला में दिया गया है ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 04.05.1983 के विरूद्ध दिनांक 17.01.2014 को पेश की है । जिसके लिए अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 30.12.2013 को किश्तों पर ब्याज में छूट होने पर नकलें निकलवाने पर हुआ। तत्पश्चात् बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । जबकि वकील रेस्पों. का कथन है कि अपीलांट व रेस्पों. दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही थी। ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

27/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 04.05.1983 के विरूद्ध दिनांक 17.01.2014 को लगभग 33 वर्ष विलम्ब से पेश की है । इस सम्बंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद में यह अंकित किया है कि आदेश की जानकारी दिनांक 30.12.2013 को होना बताया है एवं जानकारी का स्त्रोत यह बताया है कि किश्तों की छूट मिलने पर नकल प्राप्त करने पर हुई । किन्तु इस सम्बंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 5 मियाद में जो कारण दर्शायें हैं वे समुचित एवं पर्याप्त नहीं हैं। जिनके आधार 33 वर्ष के विलम्ब को माफ किया जा सके। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की ~~जावे~~। जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर